# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

# उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

छीतरमल ............ बनाम ............ नरपतसिंह

[illegible] ............ नं. ..40.. सन् ..2011..

| हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|
| वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। बहस पेश होने वाली दरख्वास्त O1 R 6 CPC व अन्य दरख्वास्त O1 R 10 CPC पत्रावली दिनांक 6-9-2021 को पेश हो।<br>दिलीप सिंह<br>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर | |
| 6.9.21 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7.9.21 को पेश हो॥ | |
| 07.09.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी मय वादी पक्षकार उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा प्रस्तुत कर उनवानी प्रकरण से सम्बन्धित इसी भूमि बाबत दावा उनवानी नरपतसिंह बनाम कौशल्या देवी में राजीनामा होकर पी.डी. हेतु निवेदन कर दिये जाने से प्रस्तुत वादपत्र को विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादी श्री घनश्याम सिंह शेखावत एड0 ने वकालतनामा पेश करते हुए वादपत्र को विड्रा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार किया जाकर दावा विड्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>07/09/21<br>( दिलीप सिंह )<br>उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर | छीतरमल<br>द. [illegible] |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.13 11:36:59 IST
Reason: SelfAttested